



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082025-265804
CG-DL-E-30082025-265804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3849]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 3849]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सं. 27 / 2025-26

विषय: शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के संशोधन के संबंध में।

का. आ. 3954(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व की अधिसूचना सं. 45/2024-25 दिनांक 30.12.2025 के संशोधन में केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) कोड 04090000 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) के अंतर्गत प्राकृतिक शहद के न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है:—

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
04090000	प्राकृतिक शहद	मुक्त	31 दिसम्बर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक	31 दिसम्बर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक

			टन (पीएमटी) 2000 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन	टन (पीएमटी) 1400 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन
--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

प्राकृतिक शहद पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को तत्काल प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2025 तक 2000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से संशोधित करके 1400 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/879/एम08/ईसी/खंड 8/पार्ट फाइल/ई-38272]

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

No. 27/2025-26

Subject: Amendment of Minimum Export Price (MEP) on export of Honey - regarding.

S.O. 3954(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, and in amendment of the earlier Notification No. 45/2024-25 dated 30.12.2024, the Central Government hereby amends the Minimum Export Price condition of Natural Honey under ITC(HS) code 04090000 of Schedule-II (Export Policy), as under with immediate effect:-

Tariff item HS Code	Item description	Export Policy	Existing Policy condition	Revised Policy condition
04090000	Natural Honey	Free	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US Dollar 2000 FOB per Metric Ton, till 31 st December 2025.	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US Dollar 1400 FOB per Metric Ton, till 31 st December 2025.

2. Effect of this Notification:

Minimum Export Price (MEP) on Natural Honey is revised from US Dollar 2000 Per Metric Ton to US Dollar 1400 per Metric Ton with immediate effect, till 31st December 2025.

[F. No. 01/91/180/879/AM08/EC/Vol.8/PartFile/e- 38272]

AJAY BHADOO, Dir. General of Foreign Trade & Addl. Secy.